



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: PLEXHO/Cir/762

29.12.2025

सेवा में,

प्लेक्सकौन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) की दरों की समीक्षा के लिए एमओओडब्ल्यूआर (विनिर्माण और अन्य संचालन गोदाम विनियम) इकाइयों के आंकड़ों का अनुरोध

आपको सूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एमओओडब्ल्यूआर (विनिर्माण एवं अन्य परिचालन गोदाम विनियम) योजना के तहत पंजीकृत इकाइयों पर लागू निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) दरों की समीक्षा शुरू कर दी है। इस संबंध में, दिनांक 01.10.2025 के आदेश संख्या 602/5/2025 के तहत गठित आरओडीटीईपी समिति ने मौजूदा आरओडीटीईपी दरों की समीक्षा और अद्यतन करने के लिए पात्र निर्यातकों से प्रासंगिक डेटा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

सदस्यों के लिए मुख्य बिंदु

- डेटा किसे जमा करना चाहिए: एमओओडब्ल्यूआर योजना के तहत पंजीकृत निर्यातकों को।
- उद्देश्य: आरओडीटीईपी की अधिकतम दरों की समीक्षा और युक्तिकरण
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 8 जनवरी 2026, शाम 5 बजे या उससे पहले
- प्रारूप: निर्धारित प्रारूप के अनुसार (संलग्न)

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

1. डेटा को निर्माता और चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
2. निर्यात की अवधि: 01.04.2024 से 31.03.2025

3. प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों के साथ निम्नलिखित प्रतिनिधि दस्तावेज़ संलग्न होने चाहिए:
 - उपयोग किए गए इनपुट के कर चालान
 - निर्यातित उत्पादों के शिपिंग बिल
 - राज्य सरकार द्वारा करों/शुल्कों (बिजली शुल्क, मंडी कर आदि) संबंधी अधिसूचनाएँ।
4. प्रारूप में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - भाग 1: विनिर्माण इकाई की सामान्य जानकारी
 - भाग 2: आरओडीटीईपी योजना के अंतर्गत शामिल मद-वार जानकारी
5. प्रस्तुत किए गए डेटा की एक प्रति एमएस एक्सेल प्रारूप में rodtep.dbk@gov.in पर ईमेल करें और इसकी एक प्रति Plexconcil को bharti@plexconcil.org और shilpa@plexconcil.org पर भेजें।

इस फॉर्मेट का पीडीएफ वर्जन और एक्सेल फाइल यहां से डाउनलोड की जा सकती है।

[20251229041845.pdf](#)

[20251229042024.xlsx](#)

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करें ताकि एमओओडब्ल्यूआर योजना के तहत किए गए निर्यात के लिए आरओडीटीईपी लाभों पर उचित विचार सुनिश्चित किया जा सके।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, सदस्य श्री मलय समीर, निदेशक (ड्रॉबैंक), से 011-23360581 पर संपर्क कर सकते हैं, या नीचे दिए गए प्लेक्सकॉन्सिल अधिकारी से 022-40170000 पर संपर्क कर सकते हैं।

साभार,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल